FORM-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi

No. 153/2017 Dated. 28.9.2017

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MOEF), GoI letter No. 11-9/98-fc (pt.) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA" in short) on the forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of **linear projects**, it is certified that **1.178 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **BSNL** for the Purpose of **OFC Laying from Pattharkhol to Badethi (Dharasu)** in district-Uttarkashi falls within jurisdiction of 05 Villages in Chinyalisaur Tehsil.

it is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.178 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub- division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure ..A...to ..B...annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities Managed by the Government as required under section- 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:

(c) The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी
'जिलास्तरीय समिति'

भारत ~~सरकार~~ संचार नि0लि0 देहरादून द्वारा जिला उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत पत्थरखोल–बनचौरा, जगदेई होते हुये बड़ेथी (धरासू) तक 53.3 कि0मी0 लम्बाई एवं 40 से0मी0 चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27/09/17 को आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुये हैं।

क्र.स.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री सन्दीप कुमार	प्रभागीय वन अधिकारी उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री हर्ष अग्निहोत्री	जिला पंचायत सदस्य 14-मथोली (बिष्ट-पट्टी), उत्तरकाशी	(हर्ष अग्निहोत्री) सदस्य जिला पंचायत, उत्तरकाशी
5	श्री लक्ष्मण सिंह भण्डारी	जिला पंचायत सदस्य गैंवला (भण्डारस्यूं)	लक्ष्मण सिंह भण्डारी सदस्य जिला पंचायत गैंवला (भण्डारस्यूं) उत्तरकाशी
6	श्रीमती अनीता कुमाई	जिला पंचायत सदस्य 04-लदाड़ी	सदस्या जिला पंचायत-04 लदाड़ी, उत्तरकाशी
7	श्री श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जि.प.स. दन्कनौर	जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत दन्कनौर जिला योजना समिति उत्तरकाशी

It is certified that – Minutes of meeting of Patharkhol to Barethi (Dharasu) Via Banchoura – Jagdei, OFC laying work (53.3 km) regarding FRA is as follows:-

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम – भारत संचार निगम लि0 देहरादून द्वारा नैनबाग से धरासू तक (पन्तवाडी,ऐन्दी, बनचौरा एवं जगदेई होते हुये) सड़क के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी ~~चिन्यालीसौड़~~ डुण्डा
अनुसूचति जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति उत्तरकाशी

उपखण्ड चिन्यीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत पत्थरखोल से बड़ेथी(धरासू) मार्ग के किनारे (1.178 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.954 हे0 नाप भूमि अर्थात कुल 2.132 हे0) ओ0एफ0सी0बिछाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 25/9/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरण –

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी [signature] अध्यक्ष
2– श्री आर० बी० सिंह उप प्रभागीय वन अधिकारी (धराळ) [signature] सदस्य
3– श्री सुधीर चन्द्र जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ सदस्य / ~~सचिव~~
4– श्री विजेन्द्र सिंह रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र प्र. प्रमुख चिन्यालीसौड़ सदस्य

उप जिलाधिकारी डुण्डा | प्रमुख क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपखण्ड चिन्यालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत पत्थरखोल से बनचौरा– बड़ेथी मोटर मार्ग के किनारे 53.3 कि0मी0 की लम्बाई एवं 40 से0मी0 की चौडाई में कुल 2.132 हे0 भूमि भारत संचार निगम लि0 देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मान्य सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत, वन अधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का दिनांक 27–05–2017 को प्रयोक्ता एजेन्सी, वन विभाग,राजस्व विभाग एवं लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमे कि लो0नि0वि0 की सडक का किनारा ही प्रयोग में लाया जाना है, जिसके लिये प्रयोक्ता एजेन्सी ने परियोजना हेतु लो0नि0वि0 से संख्या –981 / 1सी0 दिनांक 21–09–2017 के अनुसार कार्य करने की स्वीकृति ले ली है। परियोजना सार्वजनिक हित में है, अतः प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं ।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी......धरासू......द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से मान्य सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत पत्थरखोल– बनचौरा होते हुये बड़ेथी (धरासू) तक सड़क के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यार्वतन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

आमसभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आरक्षित वन भूमि के जिस भाग के अन्तर्गत पत्थररवोल से बनचौरा बड़ेथी (धरासू) मोटर मार्ग में केबिल लाईन बिछाने के निर्माण प्रस्तावित है, ग्रामसभा को उक्त परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

प्रधान
ग्राम पंचायत मोरगी
वि०ख० चिन्यालीसौड़

प्रधान ग्राम पंचायत बनोट (पल्ली)
ह०
दि०
वि०ख० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

श्रीमती आरती राणा
सदस्य
क्षेत्र पंचायत – धारकोट
वि०ख०–चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रधान
ग्राम पंचायत–जेष्टवाड़ी
वि०ख० चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

उप मण्डलीय अभियन्ता,
संचार परियोजना(बी०एस०एन०एल०)
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

S.D.E.(T.P.)
DEHRADUN

मण्डलीय अभियन्ता,
संचार परियोजना(बी०एस०एन०एल०)
देहरादून (उत्तराखण्ड ।

मण्डलीय अभियन्ता
दूर संचार परियोजना
देहरादून

प्रधान
ग्राम पंचायत सूरी
वि०ख० चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
मथोली (विष्ट)
वि०ख०–चिन्यालीसौड़ (उ०का०)

प्रधान
कोमल सिंह पंवार
ग्राम पंचायत बनारी
वि०ख० चिन्यालीसौड़ (उ०क

प्रधान
ग्राम पंचायत–रिखाणगांव
वि०ख०–चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी

प्रधान
ग्राम पंचायत– ओड़खोला
वि०ख०–चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

प्रधान
ह०
दि०
ग्राम पंचायत मथोली वि०ख० चिन्यालीसौड़